भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1634

जिसका उत्तर 30 जुलाई, 2025 को दिया जाना है

कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण

1634. श्री चंदन चौहानः
श्री प्रदीप कुमार सिंहः
श्री नारायण तातू राणेः
श्री भरतभाई मनुभाई सुतारियाः
श्री अनुराग सिंह ठाकुरः
डॉ. प्रशांत यादवराव पडोलेः
श्री बिप्लब कुमार देबः
श्री कृपानाथ मल्लाहः

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए अब तक कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई है?

उत्तर
कोयला एवं खान मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) : सरकार ने, अन्य बातों के साथ-साथ, सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कोयला और लिग्नाइट गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं -

- दिनांक 24 जनवरी, 2024 को सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) और निजी क्षेत्र के लिए एक वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम को अनुमोदित किया है।

- कोयला गैसीकरण पहल को सहायता प्रदान करने के लिए गैर-विनियमित क्षेत्र (एनआरएस) लिंकेज नीलामी नीति के तहत एक नया उप-क्षेत्र, "कोयला गैसीकरण के लिए सिनगैस का उत्पादन" सृजित किया गया है।

- सरकार ने एनआरएस नीलामी के अंतर्गत गैसीकरण परियोजनाओं को विनियमित क्षेत्र के अधिसूचित मूल्य पर न्यूनतम मूल्य के साथ आगामी सात वर्षों के भीतर शुरू होने वाली परियोजनाओं के लिए कोयले की आपूर्ति करने की अनुमति दे दी है।

- वाणिज्यिक कोयला ब्लॉक नीलामियों में गैसीकरण में प्रयुक्त कोयले के लिए राजस्व शेयर में 50% छूट शुरू की गई है, बशर्ते कि कुल कोयला उत्पादन का कम से कम 10% गैसीकरण प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जाए।

- मामला-दर-मामला आधार पर भूमि-सीमा-साझा करने वाले देशों से प्रौद्योगिकी अंतरण (टीओटी) के लिए पंजीकरण से छूट प्रदान करने के लिए एक रूपरेखा बनाई गई है। एक आवेदन को छूट प्रदान कर दी गई है।

(ख) : उपर्युक्त 8500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन स्कीम में निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं जिनके लिए कुल 7 (सात) परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं -

- **श्रेणी I** - 4,050 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसके तहत केवल पीएसयू आवेदन करने के पात्र थे, के साथ प्रत्येक को 1,350 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता के साथ कुल तीन परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

- **श्रेणी II -** 3,850 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसके तहत निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम दोनों आवेदन करने के पात्र थे, के साथ 1,983.06 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता के साथ कुल तीन निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

- **श्रेणी III -** डेमनस्ट्रेशन अथवा लघु परियोजनाओं के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान, जिसके तहत 100 करोड़ रुपये की सरकारी सहायता के साथ एक निजी क्षेत्र परियोजना को अनुमोदित किया गया है।

*****